संख्या–41–एम0एम0 / 9-आ–4–99-477 एन / 99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **उपाध्यक्ष,**
   विकास प्राधिकरण,
   लखनऊ / देहरादून।

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक 13 अक्टूबर, 1999

विषय :नजूल भूमि के फ्री–होल्ड हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों में संशोधन हेतु अवसर प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि को फ्री–होल्ड में परिवर्तित किये जाने विषयक आवेदन–पत्रों में यदि आवेदित प्रयोजन हेतु फ्री–होल्ड किया जाना अनुमन्य नहीं है और तद्नुसार आवेदन–पत्र को अस्वीकार करने की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी अवस्था में आवेदक / पट्टेदार यदि किन्हीं अन्य अनुमन्य प्रयोजन के लिए फ्री–होल्ड करने का आवेदन करना चाहता है तो उसे पूर्व आवेदन–पत्र को तद्नुसार संशोधित करने का अवसर प्रदान कर दिया जाय क्योंकि शासन की मूलभूत मंशा यह है कि अधिक से अधिक पट्टागत नजूल भूमि को फ्री–होल्ड किया जाय। अतएव यदि किसी मामले में आवेदित प्रयोजन हेतु फ्री–होल्ड किया जाना नीति अनुसार अनुमन्य नहीं है तो ऐसे आवेदन–पत्रों का प्रयोजन संशोधित कराने (नये आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी) का प्रयास किया जाय तथा उनका निस्तारण नीति अनुसार सुनिश्चित किया जाय। इसका प्रचार भी किया जाय ताकि सभी लाभान्वित हो सकें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

संख्या–41एम0एम0(1)/9-आ–4–99–477/ एन / 99 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अपर निदेशक, आवास बन्धु, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम,
उप सचिव।